धारा 92 : प्रतिपाल्य न्यायालय, आदि का दायित्व

जहां किसी कराधेय व्यक्ति की कोई ऐसी संपदा या उसका कोई भाग जिसके स्वामित्वाधीन कोई ऐसा कारबार है, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई कर, ब्याज या शास्ति संदेय है, किसी ऐसे प्रतिपाल्य न्यायालय, महाप्रशासक, शासकीय न्यासी या किसी प्रापक या प्रबंधक (जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति, चाहे किसी भी पदनाम से ज्ञात हो, भी है जो वास्तव में कारबार का प्रबंध करता है), जिसकी नियुक्ति किसी न्यायालय के आदेश के अधीन की गई है, के नियंत्रणाधीन है, वहां कर, ब्याज या शास्ति ऐसे प्रतिपाल्य न्यायालय पर महाप्रशासक, शासकीय न्यासी, प्रापक पर उद्गृहीत की जाएगी और उससे ऐसी रीति में और उस सीमा तक वसूली जाएगी जैसे कि उसका कराधेय व्यक्ति के लिए अवधारण किया जाता और वसूली की जाती, जैसे कि कराधेय व्यक्ति स्वयं कारबार का संचालन कर रहा था तथा इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंध तद्नुसार लागू होंगे।